



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya

(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)
(A Central University established by Parliament by Act No. 3 of 1997)

नैक द्वारा 'A' ग्रेड प्राप्त Accredited with 'A' Grade by NAAC

कादर नवाज़ ख़ान
कुलसचिव
Kadar Nawaz Khan
Registrar



दूरभाष/Phone : +91-7152-230902

फैक्स/Fax: + 91-7152-247602

क्रमांक : 04A/प.अ.कै./2020-21/1137
दिनांक : 23.06.2023

कार्यालयादेश

विश्वविद्यालय द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 04/परी/आ.का. 2023-24/2329/म.गां.अं.हिं.वि/2023 दिनांक 02 मार्च 2023 के बिंदु क्रमांक 03 के अनुसार अकादमिक सत्र 2023-24 से पाँच कार्य दिवसीय शिक्षण व्यवस्था की जानी है। अकादमिक सत्र 2023-24, 21 जून 2023 से आरंभ हो चुका है। पाँच कार्य दिवसीय शिक्षण व्यवस्था 06 जुलाई को आयोजित होने वाले षष्ठ दीक्षांत समारोह के संपन्न होने के उपरांत लागू होगी।

इसे सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

कादर नवाज़
(कुलसचिव)
23/6/23

प्रतिलिपि :

1. कुलपति कार्यालय
2. प्रतिकुलपति (द्वय) कार्यालय
3. समस्त अधिष्ठाता/विभागाध्यक्ष/केंद्र निदेशक/अकादमिक निदेशक/केंद्र प्रभारी
4. वित्त विभाग
5. विश्वविद्यालय वेबसाइट
6. संबंधित पत्रावली